न्यायालय जिला कलक्टर गंगापुर सिटी
पीठासीन अधिकारी डॉ0 गौरव सैनी

अपील संख्या 3/24 तारीख रुजू– 13/05/24

1. राजहंस पुत्र कानजी जाति गूजरान निवासी फरासपुर तहसील गंगापुर सिटी।
2. हरस्वरूप पुत्र कानजी जाति गूजरान निवासी फरासपुर तहसील गंगापुर सिटी।
3. कैलाश पुत्र कानजी जाति गूजरान निवासी फरासपुर तहसील गंगापुर सिटी।
4. हरकेश पुत्र कानजी जाति गूजरान निवासी फरासपुर तहसील गंगापुर सिटी।

–अपीलार्थी

बनाम

1. सरकार जरिये नायब तहसीलदार गंगापुर सिटी । –रेस्पोडेन्ट

निर्णय दिनांक 30/07/2024

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 75 के अन्तर्गत नायब तहसीलदार गंगापुर सिटी द्वारा मिसल संख्या 88/2023 में पारित निर्णय दिनांक 19/03/2024 के विरूद्ध प्रस्तुत की है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को ग्राम फरासपुर के आराजी ख0नं0 146 रकबा 0.54 है0 किस्म गै0मु0जाव 3 चाही 3 पर अनाधिकृत रूप से अतिकमण कर कब्जा करने का कर्ता मानकर भूमि से बेदखल किये जाने, अर्थदण्ड स्वरूप शास्ति आरोपित करने के दण्ड से एवं सिविल कारावास की सजा से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी की तलबी जरिये नोटिस की गई तथा अपीलाधीन आदेश संबंधी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त होने पर सर्वप्रथम उभय पक्ष की प्रार्थना पत्र तहत धारा 5 मियाद अधिनियम पर बहस सुनी गई। न्यायहित में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र तहत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है। तत्पश्चात् उभय पक्ष की मूल बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए बहस में तर्क दिया कि निर्णय अदालत मातहत खिलाफ कानून व रूयेदाद मिसल होने से निरस्तनीय है। विद्वान वकील अपीलार्थी ने बहस में यह भी तर्क दिया कि आराजी ख0न0 146 कुल रकबा 0.54 है0 किस्म गै0मु0जाव 3 चाही 3 वाके ग्राम फरासपुर में है जिसकी वर्तमान में खातेदारी मन्दिर श्री गंगाजी के नाम हाल रिकार्ड में दर्ज है एवं उक्त भूमि सरकारी भूमि नहीं है। मन्दिर की खातेदारी की भूमि है जिसको हल्का पटवारी ने गैर मुमकिन किस्म गै0मु0जाव 3 चाही 3 दर्ज बतलाकर गेहूं व सरसों की फसल काश्त करना बताया है। उक्त वाद ... के संबंध में न्यायालय उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी के मु0नं0 219/04

3-7-24

जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी (राज0)

उनवानी मुकदमा मूर्ति मन्दिर श्री गंगाजी बनाम निरंजी वगैरा चला था। जिसमें दिनांक 30.03.2009 को निर्णय पारित किया जा चुका है। उक्त दाने में उक्त भूमि रिसीवर में थी लेकिन उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी ने उक्त भूमि को रिसीवर से वापुजास्त करने का आदेश नहीं दिया है तथा अपने आदेश में केवल प्रतिवादीगण को बेदखल कर स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का आदेश दिया है तथा यह भी हवाला नहीं दिया है कि उक्त भूमि 13.10.2023 तक रिसीवर के कब्जेदाज में मानकार पक्षकारान को 13.10.2023 को उक्त भूमि नीलाम करने का नोटिस दिया गया लेकिन नायब तहसीलदार गंगापुर सिटी ने कानूनी प्रावधानों को ताक में रखकर अदालत उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी के आदेश के अनुसार बेदखली की कार्यवाही नही कर अवैध रूप से अपीलान्ट को धारा 91 लेण्ड रेवन्यु एक्ट का नोटिस जारी कर दिया जबकि खातेदारी भूमि पर 91 की कार्यवाही नहीं की जा सकती तथा उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी में दावा डिक्री होने के बाद जो इजराय विचाराधीन है उसके अनुसार ही बेदखली की कार्यवाही करना आवश्यक था इसलिये अदालत मातहत का निर्णय बिलाफ कानून निरस्त होने योग्य है।

वकील अपीलार्थी ने दौराने बहस यह भी निवेदन किया कि अपीलान्ट पश्चातवृति अतिक्रमी की परिभाषा में नहीं आते है क्योकि अदालत मातहत द्वारा नीलामी कार्यवाही करने के लिये उक्त भूमि रिसीवर के कब्जे में मानकर दिनांक 13.10.23 को उक्त भूमि नीलाम करने की कार्यवाही करने बाबत् नोटिस जारी किया गया । उक्त नोटिस के अनुसार 13.10.2023 के बाद केवल एक फसल पैदा हो सकती है एवं दो फसल पैदा नही हो सकती, ,साथ ही अभिवक्ता अपीलान्ट ने उक्त अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय निरस्त फरमाने हेतु निवेदन किया ।

विद्वान वकील अपीलार्थी द्वारा की गई बहस का खण्डन करते हुए पेरोकार सरकार ने बहस में तर्क दिया कि अदालत मातहत द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई सबूत का अवसर प्रदान करने तथा अतिक्रमित आराजी पर अपीलार्थी का अतिक्रमण पाये जाने के उपरान्त ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की अनियमितता व अवैधानिकता नहीं है।अपीलार्थी द्वारा सम्वत् 2079 में भी उक्त वाद आराजीयात पर अतिक्रमण किया गया था जिस पर अदालत मातहत द्वारा अपीलार्थी को मौके से बेदखल भी किया गया था। अपीलार्थी बार–बार अतिक्रमण करने का आदि है। अपीलार्थी द्वारा वर्तमान मौका रिपोर्ट के अनुसार भी उक्त वाद आराजीयात पर बाजरा की फसल काश्त कर अतिक्रमण किया हुआ हैं। यदि अपीलार्थी की सजा माफ की जाती है तो अन्य लोगों को भी अतिक्रमण करने में बढावा मिलेगा, साथ ही पेरोकार सरकार ने अपील अपीलार्थी खारिज करने हेतु निवेदन किया।

दोनों पक्षों की बहस सुनने,उस पर मनन करने तथा पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात् यह निष्कर्ष निकलता है कि ,अदालत मातहत के समक्ष पटवारी हल्का द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध अतीचार की रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जिला-गंगापुर सिटी (राज०) सत्यमेव जयते

3.1.24

जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी (राज०)

अपीलार्थी को सुनवाई सबूत हेतु नोटिस जारी किया गया. है। जिससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है। जहां तक अपीलार्थी के पूर्ववर्ती अतिचारी होने के प्रश्न है तो पटवारी हल्का ने अपने बयान में पश्चातवर्ती अतिकमण होना अंकित किया हुआ है। तहसीलदार गंगापुर सिटी के पत्रांक 141 दिनांक 22.07.2024 द्वारा संलग्न पटवारी हल्का से प्राप्त नवीनतम मौका रिपोर्ट दिनांक 18/07/2024 के अनुसार अपीलार्थी द्वारा उक्त वाद आराजीयात खं0नं0 146 कुल रकबा 0.54 है0 ग्राम फरासपुर में वर्तमान में अपीलार्थी द्वारा बाजरा की फसल काश्त करना अवगत कराया है, जबकि उक्त वाद आराजीयात भूमि रिसीवरी में है तथा मंदिर माफी भूमि की श्रेणी में आती है। वकील अपीलार्थी ने दौराने बहस यह भी अवगत कराया है कि मन्दिर माफी की भूमि पर 91 की कार्यवाही नहीं की जा सकती है। लेकिन वकील अपीलार्थी द्वारा अपने कथन को सिद्ध करने हेतु कोई तथ्य/साक्ष्य/दस्तावेज न्यायालय हाजा में प्रस्तुत नहीं किये है। ऐसी स्थिती में अदालत मातहत द्वारा की गई कार्यवाही न्यायोचित प्रतीत होती है।

अतः उपरोक्त विवचेना के आधार पर अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाती है तथा अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.03.2024 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक ...30/07/2024.....को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

30/7/24

(डॉ0 गौरव सैनी)
जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी

जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी (राज0)